P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9*(Part-1) May- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

जौनसार–बावर के समाज में 'खत व स्याणाचारी व्यवस्था' का ऐतिहासिक अध्ययनः शासन–प्रबन्ध के विशेष सन्दर्भ में

टीका राम
शोधकर्ता
इतिहास विभाग
एच0 एन0 बी0 गढ़वाल
(केन्द्रीय) विश्वविद्यालय,
श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखण्ड,
भारत

जे0 सी0 जोशी
विभागाध्यक्ष,
इतिहास विभाग
एच0 एन0 बी0 गढ़वाल
(केन्द्रीय) विश्वविद्यालय,
श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखण्ड,
भारत

सारांश

गांव, खत व चंतरू स्तर की पंचायतें व स्याणाचारी व्यवस्था जौनसार बावर के समाज की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं की अपने–अपने स्तर पर स्याणाचारी व्यवस्था के आधार पर सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रमुख भूमिका थी। स्वतंत्रता पूर्व नाहन, टिहरी रियासतें व कम्पनी सरकार भी स्याणाचारी व्यवस्था के माध्यम से अपना शासन–प्रशासन को संचालित करती थी, जिसमें राजस्व, न्याय करती, प्रशासन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। कालान्तर में भी इन संस्थाओं का न्याय, सुरक्षा व कानून व्यवस्था के रूप में पंचायती राज व्यवस्था के समानान्तर अपनी प्रासंगिकता व लोकप्रियता विद्यमान हैं। प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन हेतु शोधार्थी ने इस व्यवस्था के अधिकांश पूर्ववर्ती स्रोतों एवं साक्षात्कार के माध्यम से शोधपत्र का मुख्य आधार प्रस्तुत किया है।

मुख्य शब्द : समाज का अर्थ, शोध क्षेत्र का परिचय, शासन व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन, न्याय प्रशासन, ग्राम शासन प्रबन्ध, ग्राम राजस्व प्रशासन, ग्राम न्याय प्रशासन, निष्कर्ष।

प्रस्तावना

प्रत्येक देश, समाज अथवा समुदाय की अपनी एक राजव्यवस्था अथवा स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था के अनुरूप ही किसी समाज की व्यवस्था संचालित होती है। प्राचीन काल से प्रत्येक देश की अपनी किसी न किसी प्रकार की राजव्यवस्था थी। वैदिक कालीन समाज में सभा, समिति इसके प्रमुख स्माारक चिन्ह है। मनुस्मृति भारतीय समाज की प्राचीन सामाजिक व्यवस्था थी। वर्तमान समय में प्रत्येक देश का अपना एक संविधान है, जो उस देश की राजव्यवस्था है। उसका आधार उस देश की परम्पराओं, आदर्शों व मूल्यों पर आधारित होता है, जिसका स्वरूप लोकतन्त्रात्मक, गणतन्त्रात्मक व राजतन्त्रात्मक कुछ भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार स्थानीय स्तर पर किसी समाज अथवा समुदाय की अपनी परम्पराओं, आदर्शों व मूल्यों के आधार पर कानून व्यवस्था होती है। भारत एक विविधता का देश है। यहां पर प्रत्येक समुदाय की अपनी परम्परायें व रीति–रिवाजों के आधार पर अलग–अलग नियम–कानून है। जौनसार बावर और सिरमौर के परगने हिमाचल प्रदेश में अवस्थित नाहन रियासत के अभिन्न अंग थे, जो रियासत की कानून व्यवस्था का अनुपालन करता था, इसलिए दोनों परगनों का शासन–प्रबन्ध का ढांचा एक समान था। पहली बार जौनसार बावर के परगने पर बाहय शक्ति के रूप में गोरखों का प्रवेश हुआ और गोरखों ने इस क्षेत्र पर आधिपत्य कर यहां पर अपना शासन–प्रबन्ध स्थापित किया। यह पहला अवसर था जब इस क्षेत्र में किसी विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप हुआ। गोरखों के पश्चात इस क्षेत्र में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रवेश हुआ। कम्पनी का प्रमुख उद्देश्य भारत में अपने व्यापार के साथ–साथ साम्राज्यवाद का विस्तार करना था। यहां के लोगों ने अंग्रेजों के सहयोग से गोरखों को पराजित कर हमेशा के लिए बाहर खदेड दिया और इस क्षेत्र के शासन–प्रबन्ध में एक बार पुनः विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप ईस्ट इण्डिया कम्पनी के रूप में हुआ। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इस परगने को नाहन रियासत को न देकर अपने राज्य में मिलाया। परन्तु स्थानीय स्तर पर यहां की कानून व्यवस्था का निर्माण यहां की परम्पराओ, रीति–रिवाजों, आदर्शों व मान्यताओं पर आधारित है, जिसमें कम्पनी सरकार ने हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया। बल्कि यहीं की व्यवस्था के अनुरूप स्थानीय सस्थाओं को संरक्षण प्रदान कर शासन किया।

अध्ययन का उद्देश्य

1. खत व स्याणाचारी व्यवस्था को समझ सकेंगे।
2. जौनसार–बावर में इसके स्वरूप विस्तार को समझ सकेंगे।
3. खत व स्याणाचारी व्यवस्था का अध्ययन कर सकेंगे।
4. इसके सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व आर्थिक क्षेत्रों पर प्रभाव को समझ सकेंगे।
5. इसके समाज में सुरक्षा सम्बन्धी परम्परागत नियम कानूनों को समझ सकेंगे।

समाज का अर्थ

समाज व्यवस्था[1] के परम्परागत एवं क्षेत्र विशेष के आधार पर उसके स्वरूपों व प्रकृति का विवेचन करने से पूर्व उसके उन आधारों व स्वरूपों के विषय में सामान्य तौर पर संकेत किया जाना आवश्यक है, जो किसी समाज व्यवस्था के संघटक व संचालन तत्व के रूप में स्थापित है। समाज लोगों का एक समूह, होता है, जिसमें मानव जीवन की अतीत व सामयिक घटनाएं शामिल होती है। इसमें उसका आचरण, सामाजिक सुरक्षा, नियम–कानून और निर्वाह आदि शामिल है। इस सन्दर्भ में उल्लेख है कि मनुष्य को ''सामाजिक प्राणी'' कहने वाले अरस्तु का यही अभिप्राय रहा होगा कि मानव जीवन की समस्त गतिविधियां अतिशय कोटि तक सामूहिक जीवन पर निर्भर होती हैं। मानव न केवल स्वयं किसी समूह का हिस्सा होता है बल्कि अपने समूह के अन्य लोगों की सहायता से नये समूहों का भी निर्माण करता रहता है। इस प्रकार से निर्मित समुदाय में प्रत्येक सदस्य एक–दूसरे के साथ पारस्परिक सम्बन्धों के कारण आबध रहता है। यह स्थिति केवल वहीं सम्भव होती है, जहाँ कि इसके सदस्यों का पारस्परिक व्यवहार समाज विशेष के द्धारा नियत रहता और विधानों से संचालित होता रहता है।

इस रूप में यह विधान अपने अधीन आने वाले सदस्यों के आचार एवं व्यवहार का नियमन करता है, वहीं उन्हें संरक्षण तो प्रदान करता ही है साथ ही उन सबों को एक विशेष प्रकार की जीवन पद्धति में ढालने का प्रयास करता है, जिससे उसका परम्परागत रूप को यथावत बनाए रखें। इस प्रकार समाज के बुद्धिजीवियों के द्धारा अपनें सदस्यों के आचरण और उनके आपसी सम्बन्धों के संचालन के लिए निर्धारित आदर्श मानदंडों का आगामी पीढियों में हस्तांतरण होता रहता है, पर साथ ही यदा–कदा स्थान, काल व परिस्थितियों के अनुरूप अंतर भी विकसित हो जाया करते हैं। किन्तु सभी स्थितियों में आधारभूत आंतरिक ढांचे का न्यूनाधिक स्वरूप यथावत बना रहता है। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेख है कि अनेकों बार अतीत में निर्धारित अनेक सामाजिक अनुशासनों के अनुपालन के प्रति अनास्था होने पर भी व्यक्ति सामाजिक बहिष्कार की चर्चा बन जाने अथवा उपहास का विषय बन जाने के भय से उनकी उपेक्षा नहीं कर पाता है।[2]

इस प्रकार विश्व स्तर पर मानव समाज का विकास व निर्माण उसके आदर्श, मूल्यों व प्रकृति पर आधारित होता है। इसीलिए प्रंत्येक समाज की राजनीतिक, सामाजिक, व प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप भी भिन्न–भिन्न रहे हैं, जो उसके आदर्श व मूल्यों पर आधारित होता है। इस प्रकार, प्रत्येक समाज व देश की अपनी व्यवस्था होती है, जो लिखित व अलिखित हो सकती है। जैसे भारत व अमेरिका का संविधान लिखित हैं जबकि इंग्लैण्ड और इजरायल का संविधान अलिखित है। भारत और अमेरिका का संविधान विविधता व इंग्लैण्ड व इजरायल का संविधान उनकी एक समान संस्कृति का परिणाम है। व्यवस्था का स्वरूप समाज व देश के आदर्शों व मूल्यों पर आधारित होता है, जो राजतंत्रात्मक व गणतंत्रात्मक कुछ भी हो सकता है। भारत में मानव समाज का विकास क्रम प्रागैतिहासिक काल से प्रारम्भ होता है और इसी क्रम में कालान्तर में सिन्धु सभ्यता के निर्माण में तत्कालीन राज्यव्यवस्था का ही महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। इस काल की समाज व्यवस्था के लिखित दस्तावेज के अभाव में और लिपि के न पढ़े जाने के कारण यहाँ की व्यवस्था का ज्ञान केवल अनुमान पर आधारित है। हांलाकि सिन्धु वासियों की अपनी कोई निश्चित रूप से व्यवस्था रही होगी, जिसके माध्यम से तत्कालीन शासन–प्रशासन व सामाजिक व्यवस्था को सूचारू रूप से संचालन करते होंगे। तभी वहाँ का नगर नियोजन, व्यापार व नियम–कानून का विकसित स्वरूप दिखाई देता।

शोध क्षेत्र का परिचय

जौनसार–बाबर भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप से देहरादून जिले का एक भू–भाग अथवा परगना है। इसके उत्तर में उत्तरकाशी एवं दक्षिण में देहरादून तथा पूर्व में टिहरी एवं पश्चिम में हिमाचल प्रदेश अवस्थित है। सिरमौर से इसे टौंस नदी पृथक करती है। इसका निचला हिस्सा टौंस और यमुना का तराई क्षेत्र है। इस क्षेत्र का नाम जौनसार–बावर दो पट्टियों के रूप में प्रसिद्व है। हालांकि इसका तीसरा सब डिवीजन लोखण्ड़ी–किनाणी क्षेत्र है। जौनसार के उत्तर में लोखण्ड़ी, पूर्व में यमुना और पश्चिम में टौंस नदी तथा दक्षिण में कालसी के पास यमुना–टौंस का संगम है। लोखण्ड़ी से कुछ दूर बैनालखड़ जौनसार–बाबर की सीमा बनाता है। बैनालखड़ के उस पार का क्षेत्र बावर और बावर के पश्चिम में देवघार खत है। देवघार खत भी जौनसार–बावर का ही भाग है।[5]

इस क्षेत्र का नाम जौनसार–बावर क्यों पड़ा? इसके विषय में इतिहासकारों व लेखकों के मध्य अलग–अलग धारणायें है। परन्तु तथ्य पूर्ण धारणा यह है कि गढ़वाल से जमुना (यमुना नदी) पार होने के कारण यह क्षेत्र 'जमुनापार' कहलाने लगा, जो कालान्तर में 'जौनसार' के रूप में प्रचलित हुआ। सुदूर उत्तर में 'पॉवर नदी' के कारण यह क्षेत्र ''बावर'' कहलाया।[6] परन्तु कल्हण कृत राजतरंगिणी में 'बावापुर' नामक स्थान का उल्लेख मिलता है, जो जम्मू से 40 मील पूर्व में 'बवोर' नाम से जाना जाता है। इस बावापुर अथवा बवोर से तात्पर्य बावर से लगाया जाता है।[7] इस प्रकार इस सम्पूर्ण क्षेत्र का आधुनिक नाम "जौनसार–बावर" पड़ गया।[8] हालांकि इसमें देवघार क्षेत्र के नाम का जिक्र नहीं होता है। देवघार क्षेत्र को मिलाकर इसका नवीन ऐतिहासिक व भौगोलिक नाम 'जौनसार–बावर–देवघार' होना चाहिए।

शासन व्यवस्था

प्रत्येक देश, समाज अथवा समुदाय की अपनी एक राजव्यवस्था अथवा स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था के अनुरूप ही किसी समाज की व्यवस्था संचालित होती है। प्राचीन काल से प्रत्येक देश की अपनी किसी प्रकार की राजव्यवस्था थी। वैदिक कालीन समाज में सभा, समिति इसके प्रमुख स्माारक चिन्ह है।[9] मनुस्मृति भारतीय समाज की प्राचीन सामाजिक व्यवस्था थी।[10] वर्तमान समय में प्रत्येक देश का अपना एक संविधान है, जो उस देश की राजव्यवस्था है। उसका स्वरूप उस देश की परम्पराओं, आदर्शों व मूल्यों पर आधारित होता है, जिसका स्वरूप लोकतन्त्रात्मक, गणतन्त्रात्मक व राजतन्त्रात्मक कुछ भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार स्थानीय स्तर पर किसी समाज अथवा समुदाय की अपनी परम्पराओं, आदर्शों व मल्यों के आधार पर कानून व्यवस्था होती है। भारत एक विविधता का देश है। यहां पर प्रत्येक समुदाय की अपनी परम्परायें व रीति–रिवाजों के आधार पर अलग–अलग नियम–कानून है।

जौनसार बावर और सिरमौर के परगने सन् 1809 से पूर्व वर्तमान हिमाचल प्रदेश में अवस्थित नाहन रियासत के अभिन्न अंग थे, इसलिए दोनों परगनों का शासन–प्रबन्ध का ढांचा एक समान था। सन् 1809 ईस्वी में पहली बार जौनसार बावर के परगने पर बाहय शक्ति के रूप में गोरखों का प्रवेश हुआ और गोरखों ने इस क्षेत्र पर आधिपत्य कर यहां पर गोरखा शासन–प्रबन्ध स्थापित किया। यह पहला अवसर था जब इसक्षेत्र में किसी विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप हुआ, जो अल्पकालिक था। गोरखों के पश्चात सन् 1815 ईस्वी में इस क्षेत्र में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रवेश हुआ। कम्पनी का प्रमुख उद्धेश्य भारत में अपने व्यापार के साथ–साथ साम्राज्यवाद का विस्तार करना था। जौनसार–बावर के लोगों ने अंग्रेजों के सहयोग से गोरखों को पराजित कर हमेशा के लिए बाहर खदेड दिया। सन् 1809 ई0 के बाद यह दूसरा अवसर था, जब इस क्षेत्र के शासन–प्रबन्ध में एक बार पुनः विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप हुआ। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इस परगने को नाहन रियासत को न देकर अपने राज्य में मिलाया। इस सम्बन्ध में नाहन के राजा और ईस्ट इण्डिया कम्पनी के राईट ऑनरेबल गर्वनर जनरल बहादुर के मध्य एक एग्रीमैण्ट के तहत नाहन के राजा ने जौनसार–बावर को ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सौंप दिया।[11]

जोनसार–बावर के शासन–प्रबन्ध को समझने के लिए सर्वप्रथम नाहन रियासत व नाहन के राजा के शासन–प्रबन्ध पर प्रकाश डालना आवश्यक हे। सन् 1809 ईस्वी से पूर्व सिरमौर के राजा ने शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से शासन व्यवस्था की संरचना का एक मजबूत आधार व आकार प्रदान किया। राज्य का सर्वोच्च पद राजा का था, जो न्याय, कानून व प्रशासनिक व्यवस्था के क्षेत्र में शक्ति का प्रमुख स्रोत था। राजा के बाद रियासत का दूसरा प्रमुख पद वजीर–ए–आला (प्रधानमंत्री) का होता था। राज्य को वजीरी (परगनों) में विभाजित किया गया, जिसका प्रमुख वजीर (हुक्मरान) होता था। वजीर सरकार की तरफ से प्रशासक होता था। वजीर का प्रमुख कार्य कर इकट्ठा करना था। उसकी सहायता के लिए एक गोलदार अथवा गुलदार होता था, जो पुलिस अधिकारी की तरह व्यवहार करता। जौनसार–बावर और सिरमौर नाहन रियासत के परगने थे, इन परगनों के वजीर राजा के अधीनस्थ हुआ करते थे। इन परगनों के वजीरों, गुलदारों के अधीन चंतरू शासन व्यवस्था की इकाई थी, जिसमें प्रत्येक वजीर के अधीन दो चंतरू होते थे, जिनमें दो जौनसार–बावर व दो सिरमौर रियासत में थे। सिरमौर राज्य ने केवल चार चंतरू के पदों का सृजन किया, इनमें सिरमौर के ब्राह्मण व राजपूत चंतरू क्रमशः टिटियाण व भैला से और इसी तरह जौनसार में ब्राह्मण व राजपूत चंतरू क्रमशः मुन्धान व ध्योरा से थे। दोनों रियासत में चंतरू के पद पर एक–एक ब्राह्ाण व एक–एक राजपूत नियुक्त होता था। चंतरू के अधीन खत व खत के अधीन गांव का शासन प्रशासन की प्रमुख इकाईयां थीं। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हस्तक्षेप व जौनसार–बावर को अपने राज्य में मिलाने के पश्चात यहां की चंतरू व्यव्स्था में परिवर्तन किया गया, जो ब्रिटिश काल तक व उसके बाद स्वतंत्र भारत में भी निरन्तर बनी हुई है, अंग्रजों ने सिरमौर को छोडकर जौनसार–बावर में चार चंतरू के पद सृजित कर यहां की व्यवस्था को मजबूत बनाया।[12]

सन् 1809 पूर्व नाहन रियासत में सिरमौर और जौनसार बावर के राजा का प्रशासनिक स्वरूप इस प्रकार है–

1. राजा–ःराज्य का प्रमुख
2. वजीर–ए–आला (प्रधानमंत्री)
3. दीवान–ःराज्य की आय–व्यय का अधिकारी
4. वकील व मीर मुन्सी–ःसचिव
5. भण्डारी–ःअन्न भण्डार का प्रमुख
6. वजीर–परगना अथवा वजीरी का प्रशासक
7. सेनापति– सेना का प्रमुख
8. गुलदार (गोलदार)–पुलिस अधिकारी
9. आला लम्बरदार (चंतरू स्याणा)–खत के संघ का प्रमुख
10. राज्य मुसाहिक– राज कर्मचारी
11. चाकर (नोकर)–कर्मचारी
12. लम्बरदार (खत स्याणा)–गांव के संघ का प्रमुख
13. गांव स्याणा– ग्राम का मुखिया

पुलिस प्रशासन

सम्पूर्ण रियासत परगनों अथवा वजीरी में विभाजित था। वजीरी का प्रशासक वजीर होता था, जिसका काम परगने की कानून व्यवस्था को बनाये रखना था। उसकी सहायता के लिए गुलदार अथवा गोलदार नियुक्त था, जो पुलिस प्रशासन की देख रेख करता था। गोलदार वर्तमान पुलिस अधिकारी के समान था। यह परगनों में कानून व्यवस्था व शांति व्यवस्था का विशेष ध्यान रखता था।[13]

राजस्व व्यवस्था

सिरमौर दर्पण के लेखक रूप कुमार लिखते हैं कि राजस्व के क्षेत्र में राज्य की जनता पर कर आरोपित किए जाते थे, जो राजा और आला–ए–वजीर के द्वारा मनमाने ढंग से लगाए जाते थे। कर के रूप में अन्न

लिया जाता था। अन्न को गोदाम तक लाने के लिए जनता से बेगार ली जाती थी। कर का कुछ भाग नाहन राज्य के अन्न भण्डार में पहुँचाया जाता था, जो अकाल के समय अधिक मूल्य में स्थानीय लोगों को बेचा जाता था। कुँवर रणजोत सिंह लिखते हैं कि दशहरे के शुभ अवसर पर रियासत के लम्बरदार राजधानी में संगठित होते थे। लम्बरदारों को राज्य की और से एक–एक पगड़ी दी जाती थी और प्रत्येक लम्बरदार एक रूपये का नजराना राजा को देता था और कर भी जमा कराया जाता था। बाकी राजा के हस्ताक्षर युक्त एक फरद लम्बरदार को दी जाती थी, जिसे स्थानीय भाषा में ''फांट'' कही जाती है, जिसमें पिछले व अगले माल गुजारी का हिसाब होता था।[14]

न्याय व्यवस्था

राजा की रियासत में न्याय की सर्वोच्च अदालत स्वयं राजा और आला–ए–वजीर का दरबार था। परगने में वजीर को दीवानी और फोजदारी मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं था, परन्तु गोलदार की सहायता से प्रत्येक वर्ष फोजदारी मामलों की एक सूची तैयार कर आला–ए–वजीर के सम्मुख पेश करता था। अधिकांश शिकायतें मौखिक होती थी, और फैसला भी मौखिक होता था। बहुत सी शिकायतें सादे कागज पर सिरमौरी लिपि में लेखबद्ध कर पेश की जाती थी। फोजदारी के मुकदमें वजीर–ए–आला के राजा के पास आते थे। दीवानी के मुकदमों में राशि का चौथा भाग लिया जाता था। मुकदमों की सूची वजीर पेश करता था और जो भी निर्णय होता, परगने के वजीर के पास भेज दिया जाता था ताकि वह कार्यवाही कर सकें।[15]

किसी भी प्रकार के मुकदमें की सुनवाई के स्रोत मुख्यतः अन्धविश्वास पर आधारित थे, जिसमें कसम पर निर्भर चार प्रकार की शपथ के द्वारा अभियुक्त के साथ न्याय व अन्याय के निर्णय से उसकी सजा का फैसला होता था। न्याय के क्षेत्र में अन्धविश्वास की यह चरम अवस्था थी। देव घडा गोला, देव कड़ाही, देव डली व जल डोबनी चार प्रकार की शपथ के माध्यम से आपराधिक मामलों पर निर्णय होते थे। न्याय राजा के दरबार अथवा अदालत में मिलता था। राजा का दरबार सप्ताह में दो दिन लगता था, जिसमें राजा न्याय की पोशाक में सजधज कर सिहासन पर बैठता था। दरबार में सभी भाई–बन्धु व दरबारी भी उपस्थित रहते थे। इन नियम–कानून व शपथ के अन्तर्गत जिसे एक बार दोषी या अपराधी घोषित कर दिया, उसका बच पाना असम्भव था। इसी कारण से जनता में राजा, आला–ए–वजीर व गुलदार का भय बना रहता था। न्याय के लिए अपराधी व मुजरिमों के नाम भेजने का अधिकार उनके पास था। इसलिए इन जुल्मों के माध्यम से जनता के ऊपर घोर अत्याचार किए गए। फोजदारी मामले में जुर्माने की सजा को 'चहेती' और कैद की सजा को 'दण्ड' कहा जाता था। हथकडी के स्थान पर काठ डाला जाता था। दरबार का काम सिरमौरी हिन्दी में होता था और राज्य के बाहर फारसी में पत्राचार व आदेश भेजे जाते थे।[15]

ग्राम शासन प्रबन्ध

सन् 1809 ई0 से पहले तक जौनसार–बावर और सिरमौर परगने नाहन रियासत के भाग थे इसलिए इस काल तक यहां उपर्युक्त कानून व्यवस्था निरन्तर लागू थी। सन् 1815 ई0 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हस्तक्षेप के बाद जौनसार बावर को अंग्रजों ने कम्पनी राज्य में मिलाकर चकराता को तहसील बनाया, परन्तु अंग्रजों ने बंगाल की तरह यहां की स्थानीय चंतरू स्याणा व लम्बरदार व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। यंहा भी बंगाल की तरह अंग्रेजों ने राजस्व वसूली के अधिकार स्थानीय स्तर पर गांव स्याणा, लम्बरदार व चंतरू स्याणा के पास ही रहने दिए परन्तु राजस्व प्राप्त करने की वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के पास थी। साथ ही अंग्रजों ने यहां की स्थानीय शासन प्रबन्ध के अन्तर्गत दस्तूरे अमल व वाजीब उल अर्ज जैसे कानून बनाकर स्याणाचारी व्यवस्था व खतों को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के प्रयास कर अपने लिए शासन करना सरल बना लिया।[16]

जौनसार–बावर में चंतरू स्याणचारी व्यवस्था को भौगोलिक रूप से तीन भागों में विभाजित कर समझ सकते है। सर्वप्रथम जौनसार में चार चंतरू स्याणाचारी व्यवस्था की पृष्ठभूमि स्थापित थी। दूसरा लौखण्डी सब डीविजन में अवस्थित चार खेतों के स्याणा भी चंतरू के समान था, जिसे आडू नाम से जाना जाता था। तीसरा बावर क्षेत्र में चंतरू स्याणा के स्थान पर महासू महाराज के वजीर को प्रशासनिक अधिकार प्राप्त थे। इस प्रकार जौनसार बावर के शासन प्रबन्ध को समझ सकते हैं।[17]

जौनसार व सिरमौर मे चंतरू स्याणाचारी व्यवस्था में बहुत बडा बदलाव का दौर उभरकर सामने आया, जिसमें इन दोनों रियासत की संयुक्त चंतरू स्याणाचारी व्यवस्था टूटकर पृथक–पृथक हो गयी। जौनसार क्षेत्र में पृथक चंतरू स्याणाचारी व्यवस्था को अब चार चंतरू में विभाजित किए गए। विभाजन का प्रमुख कारण गढ़ बैराट में अत्याचारी शासक सामूशाह के आतंक से लोग भयभीत थे। इसके आतंक से मुक्त होने के लिए यहां के महान बुद्धिजीवियों की एक महापंचायत (खुमडी) का आयोजन हुआ, जिसमें गांव व खतों के स्याणा भी उपस्थित हुए। पंचायत में शामिल सभी सदस्यों ने सामूशाह को समाप्त करने के लिए हनोल से महासू महाराज को लाना होगा। इस पर सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से सहमती प्रकट की। हनोल से महासू महाराज को सम्मानपूर्वक लाने के उद्देश्य से खतों के प्रतिष्ठित स्याणाओं का चुनाव किया गया। जौनसार के चार चंतरू स्याणाओं का चुनाव सर्वसम्मति से मुन्धान, उद्पाल्टा, समाल्टा व माखटी से किया गया था। यही चंतरू स्याणा बाद में हनोल गये और महासू महाराज को लाकर सामूशाह का अन्त कर थैना नामक स्थान पर बोठा महासू और चालदा महासू के मन्दिर बनाकर प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापना की गयी।[18]

सन् 1815 ई0 में जौनसार–बावर को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिलाकर यहां पर पहले से विद्यमान स्थानीय शासन प्रबन्ध में कोई बदलाव न कर इसे निरन्तर बनाकर रखा गया। इसे और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए गांव, खत व चंतरू स्याणाओं को विशेष

अधिकार प्रदान किए। साथ ही बाजी उल अर्ज व दस्तूरे अमल के नवीन पद सृजित कर इसे कानूनी रूप दिया। माल जामिन नामक नये पद की भी व्यवस्था की गयी। इस प्रकार जौनसार बावर में यहां की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को निम्नलिखित आधार पर विभाजित कर अच्छे ढंग से समझ सकते हैं।[19]

जौनसार–बावर स्थानीय स्तर पर उत्तराखण्ड़ हिमालय का देहरादून जनपद के अन्तर्गत यमुना–टोंस बेसिन का एक परगना है। यहां की कुछ अपनी परम्पराएं व रीति–रिवाज है। इसी आधार पर यहां की शासन व्यवस्था है, जो परम्पराओं पर आधारित है। यह एक प्रकार से सामन्ती व्यवस्था भी कही जा सकती है। यह व्यवस्था जनता की भागीदारी के कारण लोकप्रिय थी। जनता ने कभी सिरमौर के राजा के खिलाफ बगावत व विद्रोह भी नहीं किए। सर्वप्रथम समाज में कानून व्यवस्था की दृष्टि से खत, ''खुमड़ी'' और ''स्याणाचारी प्रथा'' का सर्वाधिक महत्व है। इसका स्वरूप तीन स्तरों पर ऊपर से नीचे पीरामीड के समान विभाजित किया जा सकता है।[20]

सर्वप्रथम जौनसार बावर को स्थानीय शासन–प्रशासन को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के उद्धेश्य से पूर्व में तीन भौगोलिक ईकाईयों में विभाजित कर समझाने का प्रयास किया गया। सबसे पहले जौनसार बावर क्षेत्र में स्थानीय शासन प्रशासन में पांच चंतरू, एक आडू, व वजीर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। चंतरू स्याणाचारी व्यवस्था के अन्तर्गत चार चंतरू जौनसार में और एक देवघार में आता था। जौनसार में खत उत्पाल्टा, समाल्टा, कोरू के ग्राम मुन्धान व सेली के ग्राम नगऊ से और देवघार खत के ग्राम मुन्धोल से खतों की महापंचायत (खुमड़ी) में महान समाज सेवी, बुद्धिजीवियों, व अन्य गांव खतों के स्याणाओं की सर्वसम्मति से चुने गए। कालान्तर में इनके पद वंशानुगत हो गए। परन्तु खत कोरू के ग्राम मुन्धान के चंतरू स्याणा का पद खत लखवाड़ को हस्तान्तरित कर दिया गया। जौनसार की 28 खतों के ऊपर चार चंतरू स्याणाचारी का शासन प्रशासन स्थापित किया गया। जबकि देवघार खत के शासन प्रशासन का अधिकार चंतरू स्याणा मुन्धोल को सौंप दिया गया। जौनसार व देवघार की चंतरू स्याणाचारी व्यवस्था के समान चार खत कण्डमाण के शासन प्रशासन का उत्तरदायित्व आडू स्याणा सिधियाण ग्राम जाडी को व छः खत बावर के शासन प्रशासन की जिम्मेदारी महासू महाराज के वजीर ग्राम बासतील को सौंप दिया गया। इन सभी चंतरू स्याणा, आडू व वजीर को अपने अपने क्षेत्र में महापंचायत (खुमडी) में उपस्थित समस्त सभासदों की सर्वसम्मति से चुने गए। कालान्तर में यह व्यवस्था वंशानुगत हो गयी। इस व्यवस्था का उल्लेख जी0 आर0 सी0 विलियम ने भी अपनी पुस्तक ''मेमोरी ऑफ द दून'' में कियाा है।[21] चार चंतरू के ऊपर एक सर्वोच्च प्रमुख (स्याणा) था, जो माल गुजारी कालसी में अपने कार्यालय में एकत्र करता था। वजीर, आला वजीर व चंतरू सीधे सिरमौर के राजा के अधीन थे। चंतरू हजारों वर्षों से हैं, जो खत स्याणा से पद की दृष्टि से बड़े होते थे। [22]

द्वितीय चंतरू, आडू व वजीर के बाद प्रशासनिक इकाई के रूप में खत का स्थान है। खत कई गांव का एक समूह होता है। इसके प्रमुख को लम्बरदार अथवा खत स्याणा कहा जाता है। इसके अधीन कई गांव के स्याणा आते हैं। लम्बरदार खत का पहला व्यक्ति होता है। निर्णय यहां भी पूर्व की भाँति सर्वसम्मति से ही लिए जाते हैं। खत स्याणा, चंतरू, आडू व वजीर के अधीनस्थ होते थे। कोई भी गांव स्याणा, और खत स्याणा अपने बडे स्याणा के आदेश व निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं है अर्थात् वह अपने आप में स्वतंत्र है। इसके प्रमुख को सादर स्याणा कहा जाता है सादर स्याणा का सम्बन्ध आडू या चंतरू स्याणा से होता है। खत स्तर पर सभी कार्यों का संचालन व प्रतिनिधित्व सादर स्याणा के संरक्षण में ही होता है। निर्णय यहां भी सर्वसम्मति से लिया जाता था।

ग्राम राजस्व प्रशासन

सन् 1809 ई0 से पहले वजीर व गुलदार के अधीन ग्राम, खत व चंतरू स्याणा राजस्व अधिकारी के रूप में भू–राजस्व की वसूली का कार्य करते थे। चंतरू स्याणा अपने अधीनस्थ खत के सादर स्याणा से, खत का स्याणा अपने अधीनस्थ गांव स्याणा से और गांव स्याणा भू–स्वामी से मालगुजारी नगद व जीन्स के रूप में वसूल करते थे। चंतरू स्याणा बाद में परगने के वजीर और वजीर फिर राज्य के आला–ए–वजीर के पास जमा करवाता था। कुँवर रणजोर सिंह का मत है कि दशहरे के अवसर पर सम्पूर्ण रियासत के लम्बरदार राज्य की राजधानी में संगठित होते थे। लम्बरदारों को राज्य की ओर से एक–एक पगडी दी जाती और प्रत्येक लम्बरदार एक रूपया का नजराना राजा को देता था साथ ही कर भी जमा करता था। बाकी राजा के हस्ताक्षर युक्त एक फर्द लम्बरदारों को दी जाती थी, जिसे ''फांट'' कहा जाता था, जिसमें पिछला व पहले की मालगुजारी का हिसाब होता था।[23]

सन् 1815 ई0 से जौनसार बावर में राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में कम्पनी सरकार के हस्तक्षेप के बाद कुछ बदलाव आया। कैप्टन ब्रिच रौस, यंग आदि कम्पनी सरकार में बन्दोबस्त अधिकारी थे। कम्पनी सरकार केवल स्याणाओं के साथ लगान तय करती थी और लगान वसूली को देखते थे। 1815 ई0 में जौनसार बावर को कम्पनी सरकार में शामिल करने के बाद दिल्ली के रेजीडेण्ट के आदेशों के अनुपालन में कैप्टन वर्च ने पहला बन्दोबस्त सन् 1815–1816 व 1817–1818 दो वर्षों के लिए लागू किया और इसी तरह कई बार बन्दोबस्त लागू किए गए। जौनसार बावर ग्राम, खतों व चंतरू स्याणाचारी व्यवस्था में विभाजित था, इनमें चंतरू स्याणा सर्वाधिक शक्तिशाली था, इनकी स्युक्त सभा चंतरू कहलाती थी। उन्हें सम्पूर्ण परगने में राजस्व वसूली के अधिकार प्राप्त थे। चंतरू स्याणा खत के स्याणा से, खत का स्याणा गांव के स्याणा से और गांव स्याणा भू–स्वामी से राजस्व वसूल करते थे। जी0 आर0 सी0 विलियम का मत है कि स्याणा शंकरदास पुत्र लाला दीनदयाल चकराता में कानूनगों थे व खत हरीपुर व्यास में स्याणा थे और माल जामिन भी थे बावर में श्री कर्मसिंह वजीर राज्स्व क्षेत्र में जौनसार बावर की सहायता करते थे। यह व्यवस्था मेजर यंग ने की थी। चंतरू अपने ऊपर के स्याणा या साहुकार शंकरदास

स्याणा को प्राप्त राजस्व कालसी में सौंप देते थे।[24] चंतरू स्याणा को राजस्व अधिकार के साथ–साथ दीवानी और फौजदारी मामलों के अधिकार भी प्राप्त थे। खत स्याणाओं को भी चंतरूओं से कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे। सन् 1849 ई0 में रौस ने चंतरूओं को प्राप्त अधिकार व कर्तव्य समाप्त कर इनके स्थान पर खत स्याणाओं के साथ प्रबन्ध की बात की गई। चंतरूओं का राजकोषीय दायित्व अब खत स्याणा को सोंप दिया गया। बन्दोबस्त अधिकारी चंतरू स्याणा व खत स्याणाओं को बुलाकर खत का राजस्व तय करते थे।[25]

ग्राम न्याय प्रशासन

जौनसार बावर में गांव, खत, व चंतरू स्याणाचारी व्यवस्था के अन्तर्गत लोकमत को सर्वाधिक महत्व दिया गया, जिसमें न्याय प्रशासन का स्वरूप स्वतंत्र भारत में लोगों को भारतीय संविधान एवं कानून व्यवस्था के द्धारा स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर न्यायपालिका में न्याय मिलता है। ठीक इसी प्रकार जौनसार बावर में 1000 वर्षों से ग्राम, खत व चंतरू स्तर की खुमडी (पंचायत) के माध्यम से लोगों को मिलता था। यह पंचायत व्यवस्था राजशाही में, ब्रिटिश राज्य व स्वतंत्र भारत के प्रजातंत्र में भी समाज में लोगों के मध्य लोकप्रिय व प्रासंगिक है। न्याय के लिए सामाजिक व्यवस्था में खुमड़ी (पंचायत), जिसे ग्राम स्तर पर गांव स्याणा, खत स्तर पर खत स्याणा व चंतरू स्तर पर चंतरू स्याणा व वजीर को आहुत करने का अधिकार है।[26] ब्रिटिश कम्पनी सरकार में मिस्टर रौस ने स्थानीय स्तर पर न्याय व्यवस्था के लिए न्याय पंचायतों द्धारा प्रयोग में लायी जाने वाली कानून व्यवस्था और प्रक्रिया की नवीन मजबूत रूपरेखा तैयार की थी।[27]

निष्कर्ष

निष्कर्षतः गांव, खत व चंतरू स्तर की पंचायतें व स्याणाचारी व्यवस्था जौनसार बावर के समाज की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जिसके माध्यम से गांव, खत व चंतरू स्तर की सभाएं अपने अपने स्तर पर स्याणाचारी व्यवस्था की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में कानून के दृष्टिकोण से प्रमुख भूमिका थी। स्वतंत्रता पूर्व नाहन, टिहरी रियासतें व कम्पनी सरकार भी स्याणाचारी व्यवस्था के माध्यम से अपना शासन–प्रशासन को संचालित करते थे, जिसमें राजस्व, न्याय प्रशासन को महत्वपूर्ण स्थान था। कालान्तर में भी इन संस्थाओं का न्याय, सुरक्षा व कानून व्यवस्था के रूप में पंचायती राज व्यवस्था के समानान्तर अपनी प्रासंगिकता व लोकप्रियता निरन्तर बनाए हुए हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *शर्मा, डी0 डी0, शर्मा मनीषा, 2015, उत्तराखण्ड का सामाजिक एवं सांप्रदायिक इतिहास अंकित प्रकाशन चन्द्रावती कालोनी पीलीकोठी हल्द्वानी, पृष्ठ 21*
2. *शर्मा, डी0 डी0, पूर्वोक्त, पृष्ठ 21, 22*
3. *एटकिन्सन, एडविन्न टी0, 1998, हिमालयन गजेटियर, उत्तरायण प्रकाशन हिमालय संचेतना आदिबदरी, चमोली, पृष्ठ 320–321*
4. *जोशी, के0 आर0, 1975, जौनसार बावर का संक्षिप्त परिचय, सोसायटी फॉर मोटिवेशनल ट्रनिंग एण्ड एक्शन (समता), चकराता, देहरादून, पृष्ठ 1*
5. *नैथाणी, शिव प्रसाद, 2010, उत्तराखण्ड गाथाओं का रहस्य, पवेत्री प्रकाशन, श्रीनगर गढ़वाल, पृष्ठ–293*
6. *जोशी, के0 आर0, पूर्वोक्त, पृष्ठ 1*
7. *नैथाणी, शिव प्रसाद, 2010, उत्तराखण्ड गाथाओं का रहस्य, प्रकाशक श्रीनगर गढ़वाल, पृष्ठ 293*
8. *जोशी, के0 आर0, पूर्वोक्त, पृष्ठ 1*
9. *शर्मा, राम शरण, 2004, प्रारम्भिक भारत का परिचय, प्रकाशक–ओरियन्ट ब्लैकस्वान लिमिटेड नई दिल्ली, पृष्ठ–113*
10. *झा, दिजेन्द्रनारायण, श्रीमाली कृष्णमोहन, 1981, प्राचीन भारत का इतिहास, प्रकाशित केवेलरी लाईन,दिल्ली पृष्ठ 243*
11. *शाह, टीकाराम 2016, जौनसार बावर ऐतिहासिक सन्दर्भ (समाज संस्कृति और इतिहास), प्रकाशक–विनसर पब्लिशिंग कम्पनी, देहरादून पृष्ठ–170,171*
12. *शाह, टीकाराम, पूर्वोक्त, पृष्ठ 240*
13. *शाह, टीकाराम, पूर्वोक्त, पृष्ठ 171*
14. *शाह, टीकाराम, पूर्वोक्त, पृष्ठ 172*
15. *शाह, टीकाराम, पूर्वोक्त, पृष्ठ 172, 73, 74*
16. *शाह, टीकाराम, पूर्वोक्त, पृष्ठ 174*
17. *शाह, टीकाराम, 2016, पूर्वोक्त, पृष्ठ 239*
18. *शाह, टीकाराम, 2016, पूर्वोक्त, पृष्ठ 239, 40*
19. *शाह, टीकाराम, 2016, पूर्वोक्त, पृष्ठ 240*
20. *शाह, टीकाराम, पूर्वोक्त, पृष्ठ–239*
21. *शाह, टीकाराम, पूर्वोक्त, पृष्ठ–239, 40*
22. *शाह, टीकाराम, पूर्वोक्त, पृष्ठ–239*
23. *शाह, टीकाराम, पूर्वोक्त, पृष्ठ 171, 72*
24. *शाह, टीकाराम, 2016, पूर्वोक्त, पृष्ठ 197, 239*
25. *शाह, टीकाराम, पूर्वोक्त, पृष्ठ–200*
26. *शाह, टीकाराम, पूर्वोक्त, पृष्ठ–241*
27. *शाह, टीकाराम, पूर्वोक्त, पृष्ठ–199*